[illegible] 13.8.25 को पेश हो

13.8.2025 ~~पत्रावली पेश~~ हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी सं.0 1,2 व 9 के वकील उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत तलब करने मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई।

प्रार्थी वकील की बहस है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 365 रकबा 4.6598 हैक्टयर ग्राम चिपड़ी नाडी तहसील सिणधरी में आया हुआ है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है तथा अपने रहवास हेतु ढाणी, पानी का टांका व पशुओं का बाड़ा इत्यादि बने हुए है। प्रार्थी की जोत पर आने–जाने हेतु रास्ता विप्रार्थी सं. 1 के खेत खसरा नम्बर 366/1 रकबा 2.4351 हैक्टयर में से होकर सरकारी रोड़ तक आने जाने का एकमात्र रास्ता है। इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। विप्रार्थी सं. 1 बरसात व काश्त के समय चारों ओर बाड़ कर देते है, जिससे प्रार्थीगण को आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति में आवागमन हेतु रास्ता की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए मौका रिपौर्ट तलब की जाये।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी सं. 1,2 व 9 की बहस है कि प्रकरण मे वर्णित तथ्यों में जो आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है, वह खेत पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी का खेत है, जिसमें पक्षकारान के मध्य बाहमी बंटवाड़ा किया हुआ है, परन्तु पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद होने की दशा में विधिवत विभाजन का वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। किसी भी पक्षकारान के मध्य विभाजन के वाद के विचारण होने की दशा में प्रथम दृष्टया यह साबित नहीं होगा कि बिना सहखातेदारों की सहमति के आवागमन हेतु चाहा गया रास्ता के परिशिष्ठ के अनुसार यदि विभाजन के वाद में आवागमन हेतु पक्षकारान के मध्य छोड़े जाने वाले रास्ते के रूप में काम आने वाली सामलाती भूमि क्या वास्तविक रूप से इस परिशिष्ठ के मार्ग को भविष्य में जोड़ पायेगी अथवा नही? साथ ही राजस्थान काश्तकारी (राजस्व ...) ... विहित प्रावधानों की पालना करते हुए विभाजन नक्शा स्वीकृत ... के ... ही यह निर्धारित हो पायेगा कि सामलाती खेत खसरा संख्या 365 के स... खातेदारों को उनके ... की बाहरी सीमा की किस दिशा ... जाना उचित रहेगा। ऐसी ... में जब तक पक्षकारान के मध्य विभाजन का वाद विचाराधीन है तब तक बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:58:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

66/2025

सहखातेदारों की सहमति के किसी भी प्रकार से अपने निजी हितो को साधते हुए कोई पक्षकारान अलग से कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता है, जिससे कि अन्य सहखातेदार उसी लाभ से वंचित हो रहे हो। अतः जब तक खेत खसरा संख्या 365 के खातेदारों के मध्य विभाजन के वाद का विधिवत निर्णय नहीं हो तक तब उक्त आवेदन की कार्यवाही को स्थगित रखा जाये अथवा खारिज किया जावे।

हमनें दोनों पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 365 रकबा 4.6598 हैक्टयर ग्राम चिपड़ी नाडी तहसील सिणधरी के आवागमन हेतु रास्ते की मांग करते हुए यह आवेदन प्रस्तुत किया है। जहां पर प्रार्थी की दलील है कि उन्हें आवागमन की अत्यन्त आवश्यकता होने से उसे अपने खेत खसरा संख्या 265 जिसमें उसका निवास होने से उसे पड़ौसी खेत खसरा संख्या 366/1 से सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु नया मार्ग स्वीकृत किया जावे का खण्डन करते हुए विप्रार्थी वकील के कथनानुसार खेत खसरा संख्या 365 के विभाजन को लेकर पक्षकारान की ओर से दायर विभाजन के वाद के निस्तारण से ही यह निर्धारित हो पायेगा कि वास्तविक रूप से खेत खसरा संख्या 365 के किस ओर की सीमा के निकटतम रूप से नया मार्ग लिया जाना उचित रहेगा। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया न्यायालय को इस बात कह संतुष्टि है कि पक्षकारान के मध्य जब तक विभाजन का वाद विचाराधीन है, तब तक यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि विभाजन के वाद में पक्षकारान के खातेदारी के खेत के मध्य उन्ही पक्षकारान के आवागमन हेतु सामलाती रूप से छोड़े जाने वाले रास्ते की भूमि की पृष्ठभूमि किस प्रकार रहेगी या उसे किस रूप में सहुलियत के तौर पर प्रस्तावित किया जावेगा। लिहाजा इस आवेदन के तथ्यों के आधार पर प्रस्तावित मौका रिपोर्ट पर कोई निर्णय पारित किया जाता है अथवा तत्पश्चात् विभाजन के वाद में किसी प्रकार की भिन्नता प्रकट होती है तो पक्षकारान के मध्य अनावश्यक कानूनी पैचिदगियां बढ़ जायेगी तथा विवाद के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब की प्रबल संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन के अग्रिम कार्यवाही को स्थगित रखा जाना न्यायिक दृष्टिकोण से अति आवश्यक है।

लिहाजा उपरोक्त स्थिति को मददेनजर रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र खेत खसरा संख्या 365 के मूल खातेदारों के मध्य विभाजन के वाद के निर्णयाधीन रखते हुए खारिज किया जाकर [illegible] को सूचित किया जाता है कि संयुक्त खातेदारी के [illegible] के अनुसरण में यदि मौका एवं कब्जा स्थिति में कोई भिन्नता उत्पन्न [illegible] होती हो तो इसी आवेदन को पुनः बरादमगी करवाते हुए इस्तदुआ के [illegible] आगामी आवश्यक कार्यवाही करवाने के लिए स्वतन्त्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:58:41 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner